Email: cswriavikanagar@yahoo.comदूरभाष : 01437–220177 फैक्स नं. 91–01437–220163
भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान
अविकानगर, तह0 मालपुरा, जिला–टोंक (राजस्थान) – 304501
ICAR-Central Sheep & Wool Research Institute
Avikanagar, Teh.Malpura, Dist.Tonk (Rajasthan) – 304501

F.No.6(306)SP/2016/Vol.I/ **Dated 14-05-2020**

NOTICE INVITING TENDER THROUGH E-PROCUREMENT

On behalf of Secretary, ICAR the Director, CSWRI, Avikanagar invites online bids in two bid system forसंस्थान के प्रक्षेत्र अनुभाग के अधीन विभिन्न कृषि सैक्टरों पर हरे चारे के उत्पादन से संबंधित कार्य का अनुबंधat **ICAR-CENTRAL SHEEP & WOOL RESEARCH INSTITUTE, AVIKANAGAR, MALPURA, DISTT. TONK, RAJASTHAN, PIN 304501.** Manual bids shall not be entertained.

Tender documents may be downloaded from e-Procurement website of CPP https://eprocure.gov.in/ and www.cswri.res.in as per the schedule as give in CRITICAL DATE SHEET as under:

CRITICAL DATE SHEET

Tender No.	**F.No.6(306)SP/2016/**
Date and Time for issue/Publishing	14-05-2020at 5.00 PM
Document Download/Sale start date and time	15-05-2020at 3.00 PM
Bid Submission Start Date and Time	05-06-2020 at 3.00 PM
Bid Submission End Date and Time	05-06-2020 at 3.00 PM
Date and Time for Opening of Bids	06-06-2020 at 3.00 PM
Tender fee and Earnest money Security money	Tender fee – Rs.500/- Earnest money Rs.24000.00 Security money – 5 % of contract amount
Bank detail	ICAR UNIT -CSWRI ,Avikanagar payable State Bank of India Branch – Malpura Tonk Rajasthan
Address for Communication	Administrative Officer (Store & Purchase), C.S.W.R.I., Avikanagar,Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan, Pin- 304501

Chapter I- Instruction to bidders

1. **Bids shall be submitted online only at CPPP website:** https://eprocure.gov.in/eprocure/app.
2. Tenders/bidders are requested to visit website https://eprocure.gov.in regularly. Any changes/modifications in tender enquiry will be intimated by corrigendum through this website only.
3. In case, any holiday is declared by the Government on the day of opening, the tenders will be opened on the next working day at the same time. The Institute reserves the right to accept or reject any or all the tenders.
4. The complete bidding process in online. Bidders should be possession of valid digital Signature Certificate (DSC) of class II or III for online submission of bids. Prior to bidding DSC need to be registered on the website mentioned above. For any assistance for e-bidding process, if required bidder may contact to the helpdesk at 01437-220177.
5. **Tenderer/Contractor/Bidders are advised to follow the instructions provided in the 'Instructions tothe Contractors/Tenderer/Bidders for the e-submission of the bids online through the CentralPublic Procurement Portal for e-procurement at** https://eprocure.gov.in/eprocure/app**.**
6. Bid documents may be scanned with 100 dpi with black and white option which helps in reducing sizeof the scanned document.

7. **Tender Cost:** Applicant contractor must submit the demand draft NFET,RTGS for Rs 500/- (Rupees Five Hundred only) in favour of **"ICAR Unit, CSWRI, Avikanagar, payable at SBI, Malpura"**, obtained from any Nationalized/ scheduled Bank valid for three months as tender fees. All applicable bank charges shall be borne by the applicant and he shall not have any claim what so ever on this account on Government. The Demand Draft submitted for tender fee shall be non-refundable. **The demand drafts for tender fees must deliver to ICAR-CSWRI, Avikanagar on or before last date/time of Bid Submission.**
8. **EMD Payment:** The bidder shall be required to submit the Earnest Money Deposit (EMD) for an amount of **Rs 24,000/- (Rupees Twenty four Thousand Only)** by way of demand draft NEFT,RTGS . The demand drafts shall be drawn in favour of "**ICAR Unit, CSWRI, Avikanagar, payable at SBI, Malpura Account No.51066000084 IFSC Code – SBIN0031088**". The EMD of the successful bidder will be return after deposit Security Money and for unsuccessful bidder(s) it would be returned after award of thecontract. **The demand drafts for EMD must deliver to ICAR-CSWRI, Avikanagar on orbefore last date / time of Bid Submission.**
   a) No request for transfer of any pervious deposit of earnest money or security deposit on payment of any pending bill held by the institute in respect of any previous work will be entertained.
   b) Tenderer shall not be permitted to withdraw his offer or modify the terms and condition thereof. In case the tenderer fails to observe and comply with stipulation made herein or back out after quoting the rates, the aforesaid amount of earnest money will be forfeited.
   c) The Tenders without Earnest Money will be summarily rejected.
   d) The Firm who are registered with National Small Industries Corporation (NSIC) / OR Small Scale Industries (SSI) are exempted to submit the EMD (Copy of registration must be provide along with technical bid)
   e) No Claim shall lie against the ICAR-CSWRI, Avikanagar in respect of erosion in the value or interest on the amount of EMD.
9. **The Hard Copy of original document in respect of cost of tender document, earnest money deposit must be delivered to the ICAR-CSWRI, Avikanagar on or before last date/time of Bid Submission as mentioned above. The bid without tender fee and EMD will be summarily rejected.**
10. **Submission of Tender:** The tender shall be submitted online in two part, viz., technical bid and financial bid. All the pages of bid being submitted must be signed and sequentially numbered by the bidder irrespective of nature of content of the documents before uploading.

    The offers submitted by Telegram/Fax/Email shall not be considered. No correspondence will be entertained in this matter.
11. **Technical Bid :** The following scanned documents are to be furnished by the bidders along with Technical Bid as per the tender document:
    1. Scanned copy of relevant Firm Registration certificate
    2. Scanned copy of Pan card
    3. Scanned copy of GST Certificate. In case, if contractor is not eligible for GST,a certificate is required showing his turnover to be less than Rs.20 lakhs & his claim is to be sustained by documentary evidence like ITR (Income Tax Return),balance sheet, profit & Loss Statement etc.
    4. Scanned copy of ESI and EPF Registration
    5. Scanned copy of D.D. /NEFT /RTGS acnolegment slip and transaction slip of Tender Fee and E.M.D.
    6. Tender acceptance letter (Annexure I)
    7. Scanned copy non blacklisting certificate(Annexure II)

All necessary documents in support of the details for S.No. 1 to 7 must accompany the technical bid. The bid is liable to be rejected in case documents are not uploaded in the technical bid on CPP Portal, documents are incomplete or in case any certification/registration has already expired but is yet to be renewed. Only essential and necessary valid documents are to be uploaded in the technical bid. Please avoid uploading extraneous and irrelevant documents which unnecessary cause confusion.

Administrative Officer (S&P)

Chapter II- Scope of Work

<u>संस्थान के प्रक्षेत्र अनुभाग के अधीन विभिन्न कृषि सैक्टरों पर हरे चारे के उत्पादन से संबंधित कार्य को सम्पादित करने के लिये नियम व शर्ते</u>

1. फार्म अनुभाग के चॉदसेन सैक्टर के (ब्लाक–9 में 16 हैक्टर, ब्लाक–5 में 6 हैक्टर, ब्लॉक–4 में 6 हैक्टर एवं ब्लॉक–3 में 2 हैक्टर लगभग), टाउनशीप (ब्लाक–12 में 9 हैक्टर लगभग), नयाकुआ (ब्लाक–14 में 6 हैक्टर एवं ब्लाक–16 में 3 हैक्टर लगभग) एवं मझोला (ब्लाक–19 में 9 हैक्टर लगभग एवं ब्लाक–17 में 5 हैक्टर लगभग) सैक्टरों के अन्तर्गत सिंचाई में काम आने वाले ट्युबवैलों एवं उक्त क्षेत्र में लगी लोहे की फेन्सिंग की देखभाल करना, सैक्टरों पर रखे सामानो की सुरक्षा करना, कार्यालयों के आस–पास लगभग 10 मीटर चारों ओर बने रास्तों की सफाई, लॉन की देखरेख, कटाई–छगांई, पेड़–पौधें को पानी डालना, ब्लांक अजोला एवं प्रत्येक सैक्टर पर पहले से बनी नालियों में निदेर्शानुसार अपशिष्ट ऊन की खाद तैयार करना ।

2. अनुबन्धकर्ता को प्रक्षेत्र के चॉदसेन, टाउनशीप, नयाकुआ एवं मझोला सैक्टरों के कार्यो को करवाने के लिए अलग–अलग पर्वेयक्षक नियुक्त कर प्रभारी फार्म/प्रभारी सैक्टरो के निर्देशानुसाार अनुबन्ध कार्य समय पर पूरे करवाने होगें । अनुबन्ध कार्य को पूर्ण करवाने के लिए प्रभारी सेक्टरों के निर्देशानुसार श्रमिकों का प्रबन्ध करना होगा । कार्य निर्देशानुसार समय पर पूर्ण नहीं करवाने पर अनुबन्ध निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है ।

3. अनुबन्ध की अवधि दिनांक 15**–06–2020 से 14–06–2021** तक रहेगी। कार्य सन्तोषजनक व मय पर पूर्ण होने पर यदि आवश्यक हुआ तो संस्थान द्वारा अनुबंध की अवधि आपसी सहमति से वर्तमान दर, नियम व शर्तो पर आगे भी बढाई जा सकती हैं। कार्य सन्तोषजनक नही रहने पर अनुबन्ध को समय से पूर्व ही बिना सूचना के रद्द किया जा सकता हैं।

4. काटे गये हरे चारे में अगर किसी तरह की मिलावट (खरपतवार) प्रभारी प्र–क्षैत्र/प्रभारी, सेक्टर/गठित समिति द्वारा महसूस की जाती है तो सक्षम अधिकारी द्वारा जो भी निर्णय लिया जावेगा वह अनुबन्धकर्ता को स्वीकार्य करना होगा।

5. अनुबन्कर्ता को रात की रखवाली भी स्वयं करनी होगी । यदि रात की रखवाली के दौरान बाहरी जानवरों द्वारा चारे को किसी प्रकार से नुकसान होता हैं तो उस नुकसान की भरपाई अनुबन्धकर्ता द्वारा प्रस्तुत दर प्रति क्विंटल के हिसाब से देय बिल मे से की जावेगी। नुकसान का आकंलन प्रभारी, प्रक्षैत्र / प्रभारी, सेक्टर / सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति द्वारा किया जावेगा। रबी व गर्मी की फसलों मे सिचांई के पानी के हिसाब से हरा चारा उत्पादन करना होगा।

6. जौ एवं जई का बीज उत्पादन में सभी सैक्टर प्रभारियों के निर्देशानुसार कृषि कार्य अनुबन्धकर्ता को करने होगें एवं थ्रेसींग का कार्य स्वंय अनुबन्धकर्ता को करवाना होगा ।

7. रोजाना चारे को लाने व लेजाने के लिये ट्रेक्टर मय ट्रेक्टर ट्राली संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाई जावेगी ।

8. उक्त कार्य के लिये काम में आने वाले औजार व मजदूर अनुबन्धकर्ता करेगा । जुताई, बुआई व ढुलाई के लिये ट्रेक्टर व यन्त्र संस्थान द्वारा उपलब्ध करवा दिया जावेगा

9. कृषि से सम्बन्धित सभी कार्ये प्रभारी फार्म अनुभाग या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के दिशा–निर्देशानुसार करना होगा।

10. अनुबन्धकर्ता द्वारा प्रत्येक मद में होने वाले खर्चे को मध्य नजर रखते हुये दर प्रस्तुत करे, क्योंकि किसी भी कार्य को परिस्थिति के अनुसार हटाया भी जा सकता हैं।

11. सफल अनुबन्धकर्ता द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबन्ध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय पत्र अनुबन्धकर्ता द्वारा स्वयं बनाकर फोटो युक्त परिचय पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर प्र–क्षैत्र अनुभाग में प्रस्तुत करने होगें। परिचय पत्र का व्यय स्वयं अनुबन्धकर्ता को वहन करना होगा । प्रतिनिधियों को फोटो (पहचान पत्र) आवश्यक होगा।

12. अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर अनुबन्धकर्ता /उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होगें तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता/क्षतिपूर्ति राशि नही दी जावेगी।

13. मानसून एवं विविध कारणों से चारा उत्पादन एवं अन्य कार्य प्रभावित होने पर संस्थान की कोई जिम्मेदारी नही होगी तथा संस्थान द्वारा किसी प्रकार का हर्जाना/क्षतिपूर्ति नही की जावेगी।

14. उपरोक्त सभी कार्यों की पूर्णता तभी मान्य होगी जब प्रभारी, प्रक्षेत्र या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कार्य सन्तोषजनक पूर्णता करने का प्रमाणित करेगे उसके बाद ही भूगतान किया जावेगा यदि कार्य दिये गये माप दण्डों के अनुसार पूर्ण नही किया गया तो किये गये कार्य की मात्रा के अनुसार भूगतान किया जावेगा।

15. किसी भी कार्य को अपूर्ण या समय से पूर्व छोडने पर या संन्तोषजनक नही होने पर अनुबन्धकर्ता द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त करली जावेगी एवं अनुबन्ध को निरस्त कर दिया जावेगा जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी तथा भविष्य के लिये कार्य आवंटन नही किया जावेगा।
नोट : – अनुबन्ध हेतु आवश्यक वित्तीय एवं प्रशासनिक शर्ते अपने स्तर पर जुडवाने का श्रम करें ।

16. फसलों की कटाई प्रभारी फार्म अनुभाग/सैक्टर प्रभारी के निर्देशानुसार मानवीय श्रम से करनी होगी तथा फसलों की तुलवाई संस्थान में उपलब्ध धर्म कांटे पर गठित समिति द्वारा कि जायेगी ।

कटौतियाँः–

1. अनुबन्धकर्ता/प्रतिनिधि द्वारा कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता/गैर जिम्मेदारी/अवज्ञा की गई अथवा कोई नुकसान/ चोरी/क्षति पहुॅचाई जाती है तो उसकी वसूली स्वंय अनुबन्धकर्ता को नकद करनी होगी अन्यथा उनके देय बिल से काट ली जावेगी ।
2. अनुबन्कर्ता को रात की रखवाली भी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगा । यदि रात की रखवाली के दौरान बाहरी जानवरों द्वारा चारे को किसी प्रकार से नुकसान होता हैं तो उस नुकसान की भरपाई अनुबन्धकर्ता द्वारा प्रस्तुत दर प्रति क्विंटल के हिसाब से देय बिल मे से की जावेगी । नुकसान का आकंलन प्रभारी, प्रक्षैत्र / प्रभारी, सेक्टर / सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति द्वारा किया जावेगा ।
3. variation clause subject to force measure को देखते हुए प्रस्ताव की तय की गई निश्चित मात्रा से 20 प्रतिशत कम या 20 प्रतिशत अधिक होने पर कोई पेनल्टी क्लोज लागू नहीं होगा । परन्तु प्रस्ताव की तय की गई निश्चित मात्रा से 20 प्रतिशत से कम होने की दशा में, 20 प्रतिशत से कम हुई उत्पादन की मात्रा पर 10 प्रतिशत की कटौती की जा सकती है । इसी तरह तय की गई निश्चित मात्रा से 20 प्रतिशत से अधिक होने की दशा में ,20 प्रतिशत से अधिक उत्पादन की मात्रा पर 90 प्रतिशत का ही भुगतान किया जावेगा ।

जैसेः यदि प्रस्ताव में उत्पादन की मात्रा 1000 क्विंटल रखी गई है यदि यह निर्धारित मात्रा 20 प्रतिशत कम उत्पादन होने पर अर्थात 800 क्विंटल तक कोई पेनल्टी क्लोज लागू नहीं होगा परन्तु यदि इसकी उत्पादन मात्रा 800 से घटाकर 700 क्विंटल ही रह जाती है तो उस स्थिति में कम उत्पादन मात्रा 100 क्विंटल पर 10 प्रतिशत कम करके अर्थात 690 मात्रा का ही भुगतान अनुबंधकर्त्ता को किया जा सकेगा ।

ठीक इसी तरह यदि निश्चित की गई उत्पादन मात्रा 1000 क्विंटल है 20 प्रतिशत अधिक मात्रा उत्पादित होने पर अनुबंधकर्त्ता को अर्थात 1200 क्विंटल तक कोई पेनल्टी क्लोज लागू नहीं होगा परन्तु यदि उत्पादित मात्रा 1200 से बढकर यदि 1400 क्विंटल हो जाने पर ऐसी स्थिति में 200 क्विंटल अधिक मात्रा पर 90 प्रतिशत मात्रा का ही भुगतान किया जावेगा । अर्थात कुल मात्रा 1380 क्विंटल का ही अनुबंधकर्त्ता को भुगतान देय होगा ।

<u>अनुबन्ध की सामान्य नियम व शर्तेः</u>

1. अनुबन्ध की अवधि कार्य आदेष जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी, जिसे संतोषप्रद कार्य होने पर सक्षम अधिकारी चाहे तो कम या अनुबन्धकर्ता की आपसी सहमति से वर्तमान दर व नियम शर्तो पर एक वर्ष या अधिक तक बढ़ायी जा सकता है।
2. कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये उचित व न्यूनतम दर ही स्वीकार की जावेगी यदि आवश्यक हुआ तो दर के बारे में आपसी बातचीत भी की जा सकती है। निविदा भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम श्रमिक दर को पूर्ण नहीं करेगा तो उसे निरस्त समझा जावेगा।
3. अनुबन्ध कार्य में लगने वाले श्रमिको की आयु 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए। वे पूर्णरूपेण स्वस्थ होने चाहिये ।
4. सफल ठेकेदार स्वंय की देखरेख में अनुबन्ध का कार्य करने के लिये कार्य आदेश प्राप्त करने से पूर्व लिखित में वचन (under taking) देना होगा की वे स्वंय रोजाना प्रभारी, प्रक्षेत्र से सम्पर्क करेगें तथा अनुबन्ध का कार्य प्रभारी अधिकारी के दिषा–निर्देशाानुसार सुचारू–रूप से करते रहेगें ऐसा नहीं होने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है साथ ही उनके द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत राषि को भी जब्त किया जा सकता हैं।
5. अनुबन्ध की अवधि के दौरान ठेकेदार एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा संस्थान के कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ शिष्टता का व्यवहार करना होगा।
6. श्रमिकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर/मस्टरोल आदि का रख–रखाव स्वयं ठेकेदार को करना होगा तथा लगाये गये श्रमिकों का EPF/ESIइत्यादि यदि नियमानुसार देय होता है तो ठेकेदार द्वारा स्वयं के देय बिल राशि से देना होगा। संस्थान द्वारा इस विषय में कोई भी अलग से भुगतान का दावा स्वीकार नही करेगा। इस प्रकार का निस्तारण ठेकेदार स्वयं अपने स्तर पर करेगा।
7. संबंधित वित्तीय वर्ष में या समय–समय पर होने वाले संशोधन के अनुसार ठेकेदार के देय मासिक बिल में से नियमानुसार जी.एस.टी./आयकर ;G.S.T. /Income Tax)एवं उस पर लगने वाले सरचार्जेज राशि की भी कटौती की जावेगी।
8. ठेकेदार को अनुबन्ध की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय–2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।

9. ठेकेदार द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबन्ध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय–पत्र ठेकेदार द्वारा स्वयं बनाकर फोटो युक्त परिचय–पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर प्रक्षेत्र अनुभाग में प्रस्तुत करना होगा। परिचय–पत्र का व्यय स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों को फोटो (पहचान–पत्र) आवश्यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।
10. अनुबन्ध कार्य पर जी0एफ0आर0 2017, मेनुअल फॉर प्रोक्यारमेण्ट ऑफ गुड्स एवं सर्विसेज 2017 एवं समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी आदेश एवं संशोधन लागू होंगे।
11. अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर ठेकेदार/उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होगें तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता/क्षतिपूर्ति राशि नही दी जावेगी। अतः अनुबन्धकर्ता अनुबन्ध मिलने के साथ ही उसके अधीन कार्य करने वाले सभी कार्मिकों का बीमा अवश्यक करवा लें।
12. आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त 2 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोशजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा।
13. श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख ठेकेदार को तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा माँगने पर प्रस्तुत करना होगा।
14. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान को होगा। जिसे ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा मान्य होगा।
15. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि व उसके उपरान्त ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कान्ट्रेक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।
16. संस्थान कें सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बतायें किसी भी समय जारी अनुबन्ध आदेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
17. सफल ठेकेदार को 500/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये एग्रीमेन्ट देना होगा, जिसका प्रारूप क्रय अनुभाग से प्राप्त करना होगा।
18. संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय को बिना कोई कारण बताये किसी भी एक/सभी निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
19. यह सूचना इस संस्थान की वेबसाईट www.cswri.res.in & e-procure.gov.in पर उपलब्ध है।
20. अनुबन्ध कार्य पर जी0एफ0आर0 2017, मेनुअल फॉर प्रोक्यारमेण्ट ऑफ गुड्स एवं सर्विसेज 2017 एवं समय–समय पर भरत सरकार द्वारा जारी आदेश एवं संशोधन लागू होंगे।

Chapter III- General Terms & Conditions

1. Tenderers are advised to go through all the points mentioned in the terms and conditions of tender carefully before submitting the tender document. Incomplete/unsigned/conditional tenders will be summarily rejected and no correspondence will be entertained in this regard.
2. Before submission of the tender, the tenderer/contractor may inspect/visit the farm area site and get acquainted himself with reference to conditions and to nature of work required to be performed/executed at this Institute to avoid any ambiguity or confusion.
3. The contract will be awarded to the lowest quotee based on the rates quoted by the firm in. In case, the institute finds that the rates quoted by the tenderer is not sufficient to cover the cost of engaging minimum number of personnels at minimum wages along with other statutory requirement as specified by Govt. of India for Agricultural Sector, the institute may reject such tenders. In case of two or more tenderers quoting same rates, the tenderer having experience in relevant work will be given preference.
4. The Director ICAR-CSWRI, Avikanagar reserves the right to accept or reject any tender without assigning any reason.
5. If successful tenderer does not accept the offer within 15 days, after issuance letter of award the offer will stand withdrawn & earnest money will be forfeited, and no correspondence will be entertained in this regard.
6. The successful firm will have to sign an agreement (format will be provided by the institute with offer) on non-judicial stamp paper of appropriate value not less than **Rs. 500/-** along with the **Security Deposit @5% of contract value in** form of Account Payee Demand Draft/banker's Cheque or Bank Guarantee / FDR/TDR in favour of ICAR Unit CSWRI, Avikanagar within 15 days after issue of letter of award. It is clarified that no interest on security deposit shall be payable and security deposit money will be refundable only after the expiry/ termination of the contract period and adjusting the dues and /or forfeiture if any.
7. The contract will be awarded initially for a period of one year and thereafter, itcan be extendedfor one more year, subject to the satisfactory performance, on the same terms & conditions as per discretion of Director.

8. The firm will be disqualified and black listed and security deposit forfeited, if it is found that they sublet the contract, wholly or partially, during the period of the contract. A register for complaint /surprise/routine checks shall be maintained by the contractor which may also be inspected by authority of institute.
9. All the deployed workers must be in sound health, between 18-55 years of age. The firm should submit police verification/ fitness certificate for each deployed worker and issue them an identity card as well as appropriate uniform at the cost of contractor.
10. It will be the responsibility of the firm to look after the health and welfare of the personnel deployed as per the statutory requirements and rules. Such records would be maintained in registers and should be produced as and when demanded by the Institute.
11. The contractor shall maintain a register of complaint/work and duties performed which shall be verified by the institute.
12. ***PENALTY CLAUSE: LIQUIDATED DAMAGES CLAUSE***: Any loss/damage occurred by the Firm/Firm to the Institute property during the transaction/currency of the contract, the clause of liquidated damages for **Rs.500/-** per day shall be imposed, if the Firm fails to replace/rectify the damage/loss within a week. In case of any of the above contingencies, the First Party shall have the right to terminate this agreement forthwith without notice and recover aforesaid amount for security deposit and shall not be liable to any damages and/ or loss, which may be sufferedbytheagencyonaccount of termination of this agreement. The same shall be without any financial implication on part of the First Party. The decision of the Director, ICAR-CSWRI, Avikanagar will be final and binding in this regard.
13. If the contractor does not discharge his duties up to the satisfaction of Incharge, Farm-Section/Representative, the contract will be terminated before expiry period and the security money will be forfeited.
14. In case any problem arises on account of non-compliance of any statutory Law, the sole responsibility will be on the concerned firm. The Institute will not be responsible for any liability in this regard.
15. If any loss is incurred to the institute due to negligence or malafied intentions of the firm or any of its employees, the firm will make good the losses incurred to institute. The decision of the Director, ICAR-CSWRI, Avikanagar will be final and binding in this regard.
16. The firm must abide by all the Labour Laws in vogue for which the responsibility will solely be lying on the concerned firm. The payment to labourers engaged by the firm must be as per minimum wages prescribed by the Govt. of India for Agricultural Sector through the bank transfer, on or before 10th day of following month. The details of the payment are to be submitted to the office for processing the bill.
17. The labourers engaged by the firm will have no claim for any regular employment in the Institute/ICAR at any point of time, as this arrangement is purely on the contractual basis between the Institute and the firm.
18. In case of any accident/loss of life of the worker during discharging duties, all the liabilities/ compensation shall be borne by the firm and ICAR-CSWRI, Avikanagar shall not have responsibility in this regard.
19. The firm must submit proof of depositing the EPF and ESIC contributions along with the name and account numbers of the deployed labour and Challan of the deposited GST for the billing period (wherever applicable).
20. The bill in triplicate for work carried out in billing period is to be submitted in the Office for claiming the monthly payment through a Coordinator appointed by the Institute. No part payment request would be entertained.
21. The Director ICAR-CSWRI, Avikanagar reserves the right to review the performance whenever felt necessary also to terminate the contract at any point of time during the tenure of contract in case the performance and service rendered by firm are found to be unsatisfactory, without giving any prior notice. The decision of Director, ICAR-CSWRI, Avikanagar shall be final and binding on the contractor.
22. Contract can also be terminated at any point of time if the above mentioned work is no more required. Contract cannot be terminated by contractor firm before expiry of the contract period. **Violation would invite forfeiture of security deposit.**
23. In the case of any dispute between the institute and the firm, the Director, ICAR-CSWRI, Avikanagar will appoint an arbitrator within one month of the dispute, whose decision will be binding on both the parties, the legal jurisdiction will be Malpura only.
24. The TDS will be deducted as per Income tax extant rules.
25. The contractor or it's worker shall not misuse the premises allotted to them for any purpose other than for which contract is awarded.
26. The contractor/ his authorized representative shall report immediately whenever called by Incharge sector on receiving telephone message to attend any complaint.
27. The Contractor firm or its partners/Directors should not been declared insolvent any time. Further they are not declared defaulters / black listed by any Bank/ Financial Institute/ State oriented Govt. organization, Autonomous body etc.

Administrative Officer (S&P)

Annexure - I

भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर
तहसील–मालपुरा, जिला–टोंक, राजस्थान –304 501

क्रमांकः **6(306)SP/2016/Vol.I/** दिनांकः 14.05.2020

<u>निविदा स्वीकारोक्ति पत्र (Tender Acceptance letter)</u>
प्रक्षेत्र अनुभाग के अन्तर्गत विभिन्न कृषि सैक्टरो पर हरा चारे के उत्पादन हेतु अनुबंध प्रस्ताव (वर्ष 2020–21)

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	अनुमानित समय अवधि एवं विवरण	कार्य की अनुमानित मात्रा	दर रूपये
1–	मेंग्नी की खाद डालना व प्रक्षेत्र में समान रुप से बिखेरना / फैलाने कार्य जो कि संस्थान के अन्दर सभी खण्डो पर आवश्यकतानुसार करना होगा। जिसमें ट्रेक्टर ट्रॉली संस्थान की होगी ।	मई 2020 से जून 2021 तक	500 ट्रोली (लगभग 90 घन फीट प्रति ट्रोली)	प्रति ट्रेक्टर ट्रोली
2–	मझोला सैक्टर के ब्लॉक नं॰–17 के सिंचित क्षेत्र में आवारा जानवरों से सुरक्षा हेतु 600 मीटर(Height 7-8 feet) कच्ची कॉटेदार बाड़ करवाना ।	अनुबन्ध अवधि	600 मीटर	Lumpsum
3–	प्रक्षेत्र के अधीन विभिन्न सैक्टरों पर सिचिंत क्षैत्र में सभी कृषि क्रियाएं अपनाते हुए सैक्टर प्रभारियों के निर्देशानुसार हरे चारे का उत्पादन करना रिजका, जई तथा जायज मे चौंला एवं बाजरे का हरा चारा उत्पादन (रिजका एवं जई की बुवाई का कार्य अक्टूबर माह व चौंला तथा बाजरे की बुवाई मार्च–अप्रेल में आवश्यकतानुसर होगी)	रिजका	300 क्विटल	प्रति क्विंटल
		जई	7000 क्विटंल	प्रति क्विंटल
		बाजरा	6000 क्विंटल	प्रति क्विंटल
		चौंला	30 क्विंटल	प्रति क्विंटल
		जई का बीज	25 क्विंटल	प्रति क्विंटल
5–	प्रक्षेत्र के अधीन विभिन्न सैक्टरों पर सिचिंत क्षैत्र में जौ का बीज उत्पादन करना, बुआई से लेकर कटाई तक सभी प्रक्रियाये जैसे निराई–गुडाई करना, फसल कटाई, जौ की थ्रेसिंग करना । बीज व चारे के भण्ड़ारण तक का कार्य करना (प्रक्षेत्र तैयार करने के लिए ट्रेक्टर संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा)	जौ का बीज	100 क्विंटल	प्रति क्विंटल
6–	1– ब्लॉक नं॰–9 में लगभग 2 हैक्टर क्षेत्रफल में लगे सभी प्रजाति के पौधों को समय–समय पर देखभाल करना जिसमें पौंधों में खाद देना एवं कीट–व्याधियों से बचाव के लिए दवाओं का छिड़काव करवाना, समय–समय पर निराई–गुड़ाई का कार्य करवाना, पौधों की कटाई–छटाई करवाना एवं रास्ते व होज के आस–पास की सफाई करवाना । 2– अजोला खेती (7.7MX7.7M) आकार का क्षेत्रफल में निर्देशानुसार अजोला उत्पादन करवाना ।	अनुबन्ध अवधि	12 प्रति माह	प्रति माह
नोट : पानी की मात्रा कम या ज्यादा हो सकती हैं				

नोट : अनुबन्ध सारणी क्रम संख्या 1 से 6 में दर्शाये गये कार्या हेतु ओवरआल न्यूनतम दर दाता को दिया जावेगा।

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैनें निविदा में दर्शायी गई सभी नियम व शर्ते भली–भाँति पढ़ली है तथा मुझे पूर्णरूप से स्वीकार है। मैं यह भी वचन देता हूँ कि मुझे व मेरे प्रतिनिधि को उपरोक्त निविदा प्रपत्र में दर्शाये गये सभी कार्यो का पूर्ण ज्ञान है। मैं उपरोक्त दर्शायी गई दरों पर **संस्थान के प्रक्षेत्र अनुभाग के अधीन विभिन्न कृषि सैक्टरों पर हरे चारे के उत्पादन** से संबंधित कार्य अनुबन्ध/ठेके के आधार पर सम्पन्न करवाने के क्रम में रेट कोन्ट्रेक्ट/जॉब कोन्ट्रेक्ट पर करने के लिये सहमत हूँ। मैं यह वचन देता हूँ कि संस्थान द्वारा समय–समय उपरोक्त दर्शाये गये कार्य के अतिरिक्त कार्य करवाया जावेगा तो उक्त दर्षायी गई दरों पर संस्थान में कार्य करूंगा तथा मैं प्रभारी, फार्म अनुभाग या उनके प्रतिनिधि से समय–समय पर सम्पर्क करके उनके निर्देशानुसार अनुबन्ध कार्य करता रहूँगा। मैं अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूँगा और संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों से विनम्रता पूर्वक व्यवहार रखूँगा। यदि मेरे या प्रतिनिधियों द्वारा अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान/हस्तक्षेप करने/या उनके द्वारा बताये जाने वाले कार्य को करने के लिये मना आदि करता हूँ तो मेरे द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत राषि को जब्त करके अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता हैं जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।

यह भी वचन देता हूँ कि मैं भारत/राजस्थान सरकार के प्रचलित सभी श्रमिक नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूँगा तथा मेरे द्वारा लगाये गये सभी प्रतिनिधियों की मजदूरी का भुगतान समय–समय पर निर्धारित दैनिक मजदूरी की दर से करूँगा।

यह मेरे/हमारे संज्ञान में भली–भाँति से है कि आपके द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं में आप न्यूनतम अथवा किसी अन्य निविदाओं को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मुझे/हमें मान्य हैं। अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के उपरान्त मेरा व मेरे द्वारा लगाये गये प्रतिनिधियों का इस संस्थान से जॉब कोन्ट्रेक्ट के अलावा कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा और न ही मै किसी प्रकार का संस्थान के खिलाफ कोई कार्यवाही करूँगा।

दिनांक————————

हस्ताक्षर ठेकेदार/फर्म प्रतिनिधि मय सील

पूरा पता

टेलीफोन/मोबाईल नं.

Annexure - II

NON BLACKLISTING CERTIFICATE

[To be submitted on letterhead]

I/We hereby certify that the [Name of the company / firm] has not been ever blacklisted/ debarred by any Central / State Government / Public Undertaking / Institute on any account.

I/We also certify that firm will supply the item as per the specification given by ICAR-CSWRI, Avikanagar and also abide all the terms and conditions stipulated in Contract.

I/We also certify that the information given in bid is true and correct in all aspects and in any case at a later date it is found that any details provided are false and incorrect, contract given to the concern firm or participation may be summarily terminated at any stage, the firm will be blacklisted and ICAR-CSWRI, Avikanagar may imposed any action as per NIT rules.

Date :
Place :

Name :
Business Address :
Signature of Bidder :
Seal of the Bidder :

भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर
तहसील–मालपुरा, जिला–टोंक, राजस्थान –304 501

क्रमांकः 6(306)एसपी / 2016 / Vol.I — दिनांकः 14.05.2020

वित्तीय निविदा प्रपत्र

संस्थान के प्रक्षेत्र अनुभाग के अधीन विभिन्न कृषि सैक्टरों पर हरे चारे के उत्पादन से संबंधित कार्य को वार्षिक अनुबन्ध के आधार पर करने की दर सभी करों एवं खर्चो सहित निविदा के साथ संलग्न BUQ Sheet में प्रस्तुत करे।

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	अनुमानित समय अवधि एवं विवरण	कार्य की अनुमानित मात्रा	दर रूपये
1–	मेंग्नी की खाद डालना व प्रक्षेत्र में समान रुप से बिखेरना / फैलाने कार्य जो कि संस्थान के अन्दर सभी खण्ड़ो पर आवश्यकतानुसार करना होगा। जिसमें ट्रेक्टर ट्रॉली संस्थान की होगी ।	मई 2020 से जून 2021 तक	500 ट्रोली (लगभग 90 घन फीट प्रति ट्रोली)	प्रति ट्रेक्टर ट्रोली
2–	मझोला सैक्टर के ब्लॉक नं॰–17 के सिंचित क्षेत्र में आवारा जानवरों से सुरक्षा हेतु 600 मीटर कच्ची कॉटेदार बाड़ करवाना ।	अनुबन्ध अवधि	600 मीटर	प्रति मीटर
3–	प्रक्षेत्र के अधीन विभिन्न सैक्टरों पर सिचिंत क्षैत्र में सभी कृषि क्रियाएं अपनाते हुए सैक्टर प्रभारियों के निर्देशानुसार हरे चारे का उत्पादन करना रिजका, जई तथा जायज मे चौंला एवं बाजरे का हरा चारा उत्पादन (रिजका एवं जई की बुवाई का कार्य अक्टूबर माह व चौंला तथा बाजरे की बुवाई मार्च–अप्रेल में आवश्यकतानुसर होगी)	रिजका	300 क्विटल	प्रति क्विंटल
		जई	7000 क्विटंल	प्रति क्विंटल
		बाजरा	6000 क्विंटल	प्रति क्विंटल
		चौंला	30 क्विंटल	प्रति क्विंटल
4–	प्रक्षेत्र के अधीन विभिन्न सैक्टरों पर सिचिंत क्षैत्र में जई का बीज उत्पादन करना, बुआई से लेकर कटाई तक सभी प्रक्रियाये जैसे निराई–गुडाई करना, फसल कटाई, जई की थ्रेसिंग करना । बीज व चारे के भण्ड़ारण तक का कार्य करना (प्रक्षेत्र तैयार करने के लिए ट्रेक्टर संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा)	जई का बीज	25 क्विंटल	प्रति क्विंटल
5–	प्रक्षेत्र के अधीन विभिन्न सैक्टरों पर सिचिंत क्षैत्र में जौ का बीज उत्पादन करना, बुआई से लेकर कटाई तक सभी प्रक्रियाये जैसे निराई–गुडाई करना, फसल कटाई, जौ की थ्रेसिंग करना । बीज व चारे के भण्ड़ारण तक का कार्य करना (प्रक्षेत्र तैयार करने के लिए ट्रेक्टर संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा)	जौ का बीज	100 क्विंटल	प्रति क्विंटल
6–	1– ब्लॉक नं॰–9 में लगभग 2 हैक्टर क्षेत्रफल में लगे सभी प्रजाति के पौधों को समय–समय पर देखभाल करना जिसमें पौंधों में खाद देना एवं कीट–व्याधियों से बचाव के लिए दवाओं का छिड़काव करवाना, समय–समय पर निराई–गुड़ाई का कार्य करवाना, पौधों की कटाई–छटाई करवाना एवं रास्ते व होज के आस–पास की सफाई करवाना । 2– अजोला खेती (7.7MX7.7M) आकार का क्षेत्रफल में निर्देशानुसार अजोला उत्पादन करवाना ।	अनुबन्ध अवधि	12 प्रति माह	प्रति माह
नोट : पानी की मात्रा कम या ज्यादा हो सकती हैं				

दिनांक––––––––

हस्ताक्षर ठेकेदार / फर्म प्रतिनिधि मय सील
पूरा पता
टेलीफोन / मोबाईल नं.